(44)

# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /2018 पुनरीक्षण निगरानी-3230/2018/सागर/भू.रा

श्री मुकेश भार्गव अधि. द्वारा आज दि. 26.5.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 26.5.18

मुकेश भार्गव 26.5.18 एडवोकेट ग्वालियर

लक्ष्मण सिंह पुत्र डेलन सिंह
निवासी ग्राम मूडरा जरूवाखेडा
तह. व जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

मर्दन सिंह पिता हरप्रसाद सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम मूडरा जरूवाखेडा
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

......... अनावेदक

**न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्र.कं. 1149 अ–6(अ) x 17–18 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार विनय है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, अनावेदक ने तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 89 के तहत आवेदन पेश किया कि ग्राम जरूवाखेडा की भूमि ख.नं. पुराना 442 रकवा 2.43 है. की बन्दोवस्त उपरांत नया ख.नं. 397 रकवा 0.90 है. बनाया जाकर 0.08 है. रकवा कम हो गया है। आवेदन के साथ नये पुराने नक्शा

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग./3230/2018/सागर/भू.रा. जिला सागर लक्ष्मण सिंह विरूद्ध मर्दन सिंह

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 31-08-2018 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. दिनांक 13-08-2018 को आवेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव को ग्राह्यता पर सुना गया ।<br>3. उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-05-2018 का अवलोकन किया गया ।<br>4. अपर आयुक्त सागर द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 16-05-2018 को अनावेदक के एक पक्षीय रूप से तर्क श्रवण करने के उपरांत दिनांक पूर्व में पारित आदेश दिनांक 09-04-2018 को जारी स्थगन आदेश की अवधि आगामी आदेश तक बढ़ाने के आदेश दिये ।<br>5. म.प्र.भू-राजस्व संहिता की 52(2) के अनुसार<br>"अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी, किसी भी समय, यह निदेश दे सकेगा कि उस आदेश जिसकी कि अपील की गई है या जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण किया गया है, निष्पादन उतने समय तक के लिये रोक दिया जाए जितना कि वह ठीक समझे [परन्तु आदेश का निष्पादन एक बार में तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जायेगा]" ।<br>6. अत: अपर आयुक्त के आदेश में आगामी आदेश तक के स्थान पर आगामी पेशी तक संशोधित किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है ।<br>7. अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जाये एवं आवेदक सूचित हो ।<br>सदस्य 31.8.18 | |